विचार बिन्दु

काम से शोक उत्पन्न होता है। –धम्मपद

क्या जातिगत आरक्षण वोट पाने की कुनीति है?

राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता में भारतीय संस्कृति की महानता का जो परिचय कराया गया वह अभूतपूर्व है। हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के हेतु जो प्रावधान प्रियम्बल चेप्टर तीन व चेप्टर चार में किये हैं, वे देश की उच्च परम्परा और संस्कृति के अनुरूप हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में समता व समानता तथा अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद का अतिषेध किया है, वह संविधान की विशिष्टा को इंगित करता है और हमारी सदियों की उच्च संस्कृति को प्रतिलक्षित करता है। समता, समानता, समरसता और बन्धुत्व की भावना व्यक्ति की गरिमा को निखारती हैं। कविता का एक पेरा इस प्रकार है:-

भारत माता का मंदिर पर, समता का संवाद यहाँ
सबका, शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ।
जाति, धर्म या सम्प्रदाय का नहीं है भेदभाव यहाँ,
सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ।

सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछडों के लिये आरक्षण के प्रावधान हैं संविधान के अनुच्छेद 16 में संविधान 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिये 10 प्रतिशत तक आरक्षण की बात की। इससे पूर्व जैसा ऊपर लिखा है आरक्षण का प्रारम्भ सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछडों को लाभ पहुंचाने के परम धर्म के हेतु किया था।

केन्द्र व राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिये सीटें आरक्षित करती हैं यह आरक्षण जाति के आधार पर है, जो जन्म से तय होती है।

देश में आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है:–

अनुसूचित जाति (SC)	15% आरक्षण
अनुसूचित जनजाति (ST)	7.5% आरक्षण
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	27% आरक्षण
कुल आरक्षण 49.5% आरक्षण (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय सीमा 50%)	
संविधान 103वें संशोधन के बाद सामान्य वर्ग को (सामान्य वर्ग के सभी धर्मों के लोगों को आर्थिक स्थिति के अनुसार)	10% आरक्षण

कुछ समय पूर्व बिहार ने जाति जनगणना के आंकडे.तैयार कर प्रकाशित किये थे। इसके अनुसार राज्य ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सीलिंग को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया। यह सीमा इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन था। बिहार के बाद अन्य राज्य भी अब जनगणना की बात कर रहे हैं और कई राजनैतिक दलों ने जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर चुनावों में माहौल गर्म किया। जातिगत आरक्षण को राजनीतिक हथियार के रूप में काम में लेने का यह तरीका काम में लिया गया। कई राज्यों में 50 प्रतिशत सीमा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, उसे तोड दिया है और कुछ सीमा को बढ़ाना चाहते हैं।

आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण का उद्देशय संशोधन विधेयक 2023 द्वारा आरक्षण 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कराने का है। 10 प्रतिशत EWS के के रूप में अन्य अधिनियम से कवर हैं।

बिहार के आरक्षण विधेयक के बाद, महाराष्ट्र में मराठाओं के लिये अलग से आरक्षण की मांग उठी है। शिक्षा व सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया था। बम्बई हाईकोर्ट ने उसे संवैधानिक माना। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की पूर्व में तय की गई सीमा का उल्लंघन है। विवाद चल रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड रही है। एक ओर राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं तो पी एम मोदी का संकल्प है कि यह मांग कभी भी स्वीकार नहीं होगी। अधिकांश राजनेताओं का कथन है कि जातिगत सर्वेक्षण समाज को विखण्डित करने की साजिश है। कांग्रेस इसे वोट प्राप्त करने के लिये हथियार के रूप में उपयोग करना चाहती है। समता आन्दोलन समिति ने अपनी एक कार्यशाला में यह माना है कि आरक्षण गरीबों के लिये एक अभिशाप है। आरक्षण की मलाई सिर्फ-सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के धनी लोग ही चाट रहे हैं। आरक्षित व पिछड़े वर्गों के वास्तविक गरीबों तक यह आरक्षण कभी पहुँचा ही नहीं है।

यह सही है कि दलितों का उत्पीडन हुआ था और वे सामाजिक न्याय के अधिकारी हैं और आरक्षण उनके पिछडेप़न को समाप्त करने के हेतु एक साहसिक कदम है। वे भी समता समानता के अधिकारी हैं।

बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के बाद कहा था यह हमारा भ्रम है कि देश एक राष्ट्र है, किन्तु यह सही नहीं है, क्योंकि हमारा देश हजारों जातियों में बंटा हुआ है। अतः हमें स्वीकार करना होगा कि जातिगत जनगणना का कोई औचित्य नहीं है। जातिगत आरक्षण और जनगणना केवल वोट लेने की कुनीति है।

जातिगत आरक्षण अथवा जातिगत सर्वेक्षण एक प्रकार से समाज को बांटने की प्रक्रिया है। बिहार में सर्वेक्षण हुआ था और जनगणना की गई थी। नीतिश कुमार ने बिहार में आरक्षण में बढ़ोत्तरी जाति सर्वेक्षण के बाद की घटना कहा है। इंदिरा साहनी के केस में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा तय की गई थी और इंदिरा साहनी के केस के बाद अनेक केसों में रेफर किया गया है, सभी निर्णयों में इस 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को सही माना है। अत: इस बात सीमा बढ़ाने की मांग उठाना उचित नहीं है।

संविधान में अनुच्छेद 334 में यह व्यवस्था की थी कि विधानसभा व लोकसभा के चुनाव में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था दी है, किन्तु यह स्पष्ट कर दिया था कि यह आरक्षण 10 वर्ष बाद स्वत: समाप्त हो जायेगा। यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्ष के लिये अनाधिकृत रूप में बढ़ा दिया जाता है। इस प्रावधान की वैधानिकता की सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है किन्तु 20 वर्षों से भी अधिक समय हो चुका है, इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है।

वस्तुत: जनगणना पारदर्शी तरीके से कराना सम्भव नहीं है, क्योंकि जनगणना के अन्तर्गत सभी जातियों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति आंकी जानी अपेक्षित है। निजी व सरकारी दोनों प्रकार के क्षेत्रों का आंकलन होना चाहिये। यह कठिन कार्य है। आरक्षण का लाभ शिक्षा व रोजगार के हेतु होता है, किन्तु जो लोग प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर नहीं पढ़ पाये हैं, उन्हें तो लाभ नहीं मिलेगा।

यह भी स्पष्ट है कि जो पिछड़े क्रिमीलेयर में आ चुके हैं उन्हें आगे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिये। इन्द्रा साहनी के केस के अनुसार क्रिमीलेयर में आने के बाद आरक्षण चालू रखना सही नहीं है। क्या आप मंत्री, डाक्टर, विधायकों, बड़े व्यापारियों के परिवार आदि को, जिन्होंने आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है, उन्हें पिछड़ा मानेगें? एम नागराज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आरक्षण व्यक्ति को उसी स्थिति में मिलेगा जब वह साबित करेगा कि उसका पिछड़ापन अभी समाप्त नहीं हुआ है। वह अभी भी पिछड़ा ही है।

जातिगत आरक्षण की मांग जातियों में विभाजन पैदा करेगा जिसे आरक्षण नहीं मिलेगा वह विवाद खड़ा करेगा। जिसे राजनैतिक पार्टी आरक्षण दिलायेगी वह वोटों की मांग करेगी ताकि वे चुनाव जीत कर अपने नेता को विधानसभा/लोकसभा में भेज सकें। इस प्रकार वोटों के लालच में यह जनगणना की तथा जातिगत आरक्षण की बात उठाई जा रही है। इससे राजनीति में कटुता बढ़ेगी और देश कभी भी विकास की गति प्राप्त नहीं कर सकेगा। आजादी के 75 वर्षों बाद भी विकास का हाल तो यह है कि आरक्षण प्राप्त कराने के उद्देश्य से यह लडाई लडी जा रही है कि लोग यह कहने में गर्व करते हैं "मैं तुझसे अधिक पिछड़ा हूँ"।

आजादी की लड़ाई के बाद हमने अपना संविधान बनाया। पिछडों के लिये शिक्षा, नौकरी और विधानसभा/लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया। इस आरक्षण से संतुष्ट नहीं होने पर ओबीसी का आरक्षण हुआ। आरक्षण का जाल सब जगह फैला हुआ है। आर्थिक आरक्षण 10 प्रतिशत है यह अनुच्छेद 16(6) के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अन्य आरक्षण से भिन्न माना है।

रिजर्वेशन का उद्देश्य है, सब में समानता (Equality) लाना है। क्या लोगों का पिछड़ापन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है? यदि नहीं तो हमने इन 75 वर्षों में शायद कुछ भी विकास नहीं किया। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी जातिगत आरक्षण की मांग उठ रही है। झारखण्ड, हरियाणा और कर्नाटक में आरक्षण करने का प्रयत्न हो रहा है किन्तु बिहार व हरियाणा के आरक्षण को न्यायालय ने सुनने से इन्कार कर दिया। किन्तु आश्चर्य है कई राजनीतिक दल इस बाबत मांग कर रहे हैं।

लेखक संजीव कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार के विचारों से सहमत हूँ, उन्होंने एक लेख में लिखा है वह इस प्रकार है:–

"आरक्षण वैशाखी नहीं है, जिसके सहारे जिन्दगी काटली जावे समय की मांग है कि जातिगत आरक्षण के विषय में आगे की राय तय करने के लिये सभी हित धारकों द्वारा अपने पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़, भविष्यन्मुखी नीति का निर्माण किया जावे जिससे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का सपना पूरा हो सके"।

आरक्षण का अर्थ है ऐसे उपाय किये जावें जिससे दलितों का पिछड़ापन समाप्त हो और वे साधारण लोगों जैसा समान स्तर समाज में प्राप्त कर सकें। बिहार में जैसा ऊपर कहा है कि जाति जनगणना में एसटी, एससी, ओबीसी की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है और वे 65 प्रतिशत आरक्षण के अधिकारी अपने को मान रहे हैं। इसका अर्थ है आजादी के 75 वर्षों के बाद इन लोगों का पिछड़ापन समाप्त नहीं हुआ। इन्द्रा साहनी के केस में एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण 49.5 प्रतिशत माना था और जनरल केटेगरी के लोगों की आबादी जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक थे उन्हें 50 प्रतिशत से अधिक माना था। अब यदि पिछड़ों की संख्या बढ़ी है तो बिहार की तरह देश में अन्य स्थानों पर भी आरक्षण 65 प्रतिशत या इससे अधिक हो जावेगा। इसका अर्थ है जातिगण जनगणना में इस तथ्य पर विचार नहीं हुआ कि कितने परसेन्ट पिछड़े, शिक्षा और नौकरी के कारण अब पिछड़े नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में इसे स्पष्ट कर दिया है कि 50 प्रतिशत की सीमा को लांघा नहीं जावेगा। अत: जातिगत जनगणना अथवा आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाना देश के कानून के विरूद्ध है।

बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के बाद कहा था यह हमारा भ्रम है कि देश एक राष्ट्र है, किन्तु यह सही नहीं है, क्योंकि हमारा देश हजारों जातियों में बंटा हुआ है। अत: हमें स्वीकार करना होगा कि जातिगत जनगणना का कोई औचित्य नहीं है। जातिगत आरक्षण और जनगणना केवल वोट लेने की कुनीति है।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

धूमकेतु राजनेता का विश्लेषण

डॉ. रामावतार शर्मा

धूमकेतु अंतरिक्ष में सूर्य के चारों तरफ घूमता एक शिलाखंड है। माना जाता है कि हर धूमकेतु अत्यंत प्राचीन काल में किसी विशाल धूमकेतु के अनगिनत टुकड़ों में से एक होता है। बर्फ जैसा ठंडा यह धूमकेतु जब सूर्य के पास आता है तो उसकी ऊर्जा से प्रज्ज्वलित हो उठता है। इसी ऊर्जा के दम पर यह अदना इकलौता आकाश में चमक कर इठलाने लगता है।

इसमें से निकलने वाली गैस एक पूंछ का रूप ले लेती हैं इसलिए इसे पुच्छल तारा भी कहा जाता है। जब यह पहली बार दिखता है तो बहुत चमकता है पर चंद दिनों बाद वर्षों के लिए गायब हो जाता है और लोग इसके आगमन और पलायन दोनों को भूल जाते हैं। जरा ध्यान से देखें तो राजनीति के आकाश में भी धूमकेतु नेता आते जाते रहे हैं। वर्तमान में मौजूद हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे।

ये नेता किसी स्थिति विशेष, जाति या धर्म विशेष या फिर सामाजिक जटिलताओं का सहारा ले कर यकायक राजनीति के आकाश में उभरते हैं, कुछ लोगों खासकर युवा वर्ग में तीव्र ऊर्जा का संचार करते हैं और फिर इसी आकाश में कहीं गुम हो जाते हैं।

ऐसे नेता राष्ट्रीय स्तर पर भी उभरते हैं परंतु अधिकतर मामलों में राज्य स्तरीय ही होते हैं। राजस्थान में ऐसे एक नेता 1980 के आसपास उभरे थे जिनके बारे में कहा गया था कि बड़े 'फायरब्रांड' नेता हैं और एक दिन राज्य के सर्वेसर्वा पद पर विराजमान होंगे। उस दौर में उनके पीछे युवा समर्थकों का झुंड कतारबद्ध होता था जैसे धूमकेतु के पीछे उसकी पूंछ होती है। स्वभाव में आक्रामकता तो थी पर उनका न तो कोई राजनीतिक दर्शन था, न कोई दीर्घ कालिक सोच और ना की किसी तरह की योजना और उसके कार्यान्वयन के लिए बौद्धिक टीम जिसे थिंक टैंक कहा जाता है।

समय के साथ वृहद भारत से सिमट कर हिन्दू नेता बने, आगे चलकर सिर्फ एक जाति के हुड़दंगी नेता और फिर मात्र एक दो विधानसभा क्षेत्रों तक सिकुड़कर रहने वाले भिक्षु नेता बन गए जिनको भिक्षा भी पूर्णता से न मिल सकी और राजनीति एवं उम्र के आखिरी पड़ाव पर पराजय ही उनकी झोली में आई। दूसरे स्वघोषित शेर को अपने ही घर में, अपने ही पूर्व अनुयायी के हाथों शिकस्त मिली। एक अन्य जो उपरोक्त दोनों से प्रेरित हुआ, कानून हाथ में लिया और पराजय के साथ कस्टडी की सलाखों से अपमानित हुआ।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तेजी से उभरा। देश के साथ विदेशों में भी लोगों की रुचि का विषय बना पर अब गुमनामी की सीढ़ियों की तरफ अग्रसर है। तकरीबन यही हाल मायावती का है और ऐसा कुछ ही दलित नेता चंद्रशेखर का होने वाला है। कॉलेज प्रिंसिपल की मेज को ठोकते और उन पर चिल्लाने वाले युवा नेता समय के साथ जातिगत राजनीति की परिधि में सिकुड़ते देखे गए है।

इन सब उदाहरणों को देख कर मन में एक सहज जिज्ञासा उठती है कि इतने ऊर्जावान होकर भी ये नेतागण क्यों धूमकेतु की तरह गुम हो जाते हैं या प्रभावहीन हो कर किसी क्षेत्र विशेष तक सिकुड़ जाते हैं। मानव स्वभाव और मनोविज्ञान पर आधारित विश्लेषण कुछ रोचक बाते सामने लाता है। इन आक्रामक नेताओं का पदार्पण ज्यादातर भय तथा हुहदंगबाजी के साथ होता है जिसमें ये युवकों का समूह बना कर समाज और प्रशासन को प्रभावित करते हैं। प्रभाव तो ये डालते हैं पर किसी भी प्रकार की गंभीर जिम्मेदारी से बचने में प्रयासरत नजर आते हैं और हर व्यक्ति को प्रसन्न रखने तथा उसका जीवन बदलने का वादा करते हैं परंतु यह सब कुछ कैसे होगा, इस सवाल पर आक्रामक हो जाते हैं।

चूंकि ये लोग व्यक्तिवादी होते हैं तो गांव, कस्बे या शहर स्तर पर अपने संगठन में अन्य किसी को उभरने नहीं देते। माना कि बड़ी पार्टियों में भी एक शीर्ष नेता होता है पर स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की भी बात सुनी जाती है परंतु धूमकेतु नेता स्वयं के अलावा अन्य किसी सहयोगी की प्रशंसा न तो करता है और न ही सुनता है। वह स्वयं की किसी भी गलती को सुनने और मानने से इनकार करता है बल्कि आरोप, आलोचना, गाली गलौज, मारपीट और अपमान को हथियार के रूप में उपयोग करता है जिसके फलस्वरूप एक बड़ा वर्ग उसका विरोधी बन जाता है जो भयवश जयकारा तो लगा सकता है पर वोट देना बंद करने लगता है। धूमकेतु नेता चंद स्थानीय समस्याओं को लेकर आक्रामक होता है परंतु उसके पास कोई स्पष्ट योजना और उसके कार्यान्वित करने के साधनों का अभाव होता है। यही कारण है कि ऐसे नेता अपने लंबे कार्यकाल में भी अपने क्षेत्र में कोई ऐसा सर्वजन हितार्थ काम करवा पाने में असफल होते नजर आते हैं जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक याद किया जा सके। ये लोग भूल जाते हैं कि स्थानीय डॉक्टर, थानेदार या अभियंता पर चिल्लाना ही जन नेता का काम नहीं है। घमंड, गप्पबाजी, तथ्यहीनता और अफसरशाही की प्रताड़ना द्वारा खबरों में रहने की आदत बन जाती है जिसकी वजह से कोई भी गंभीर योजनाकार इन लोगों के साथ टिक नहीं पाता और इन नेताओं की ऊर्जा का ह्रास होने लगता है। चमकता पुच्छल तारा समय के साथ महज टिमटिमाता नजर आने लगता है। चूंकि ऐसे नेता अत्यधिक मेहनती होते हैं तो इनकी ऊर्जा भी तेजी से कम होने लगती है क्योंकि अपनी पार्टी या इलाके में हर काम इन्हें खुद ही करना पड़ता है। ये लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि चाहे प्रजातंत्र हो, राजतंत्र या फिर चाहे अधिनायकवाद हो हर जगह एक मजबूत संगठन ही किसी व्यक्ति को ध्रुव तारा बनाता है।

धूमकेतु का श्रृष्टि निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, इनके बारे में भय और भ्रांति बनी रहती है तथा लोगों के मन में ये बात बैठी रहती है कि इनकी चमक स्थाई नहीं है परंतु जब तक है तब तक मनोरंजक है, उत्साहजनक भी है। आक्रामक परंतु दिशाहीन युवा कार्यकर्ताओं की भीड़ से घिरे इन आत्ममुग्ध ऊर्जावान नेताओं के पर कोई गंभीर विचारक पहुंचने का प्रयास तक नहीं करता है। इनकी नियति प्रारंभिक चमक के बावजूद विलुप्ति ही होती है। ऐसा होता रहा है, अभी हो रहा है और आगे होता भी रहेगा। इति!!

–डॉ. रामावतार शर्मा,
(चिकित्सक एवं लेखक)

शहरी इलाके में घुसे पैंथर ने युवक व गाय को घायल किया, लोगों में दहशत

हमला करने के बाद एक मकान के बाथरूम में घुसकर बैठा रहा पैंथर

सीकर, (निसं)। शहर के जयपुर रोड स्थित वार्ड नंबर 40 के सैनी नगर इलाके के लोग गुरुवार को करीब छह घंटे तक इलाके में पैंथर की दस्तक के चलते दहशत में रहे। शहर के जयपुर रोड स्थित सैनी नगर में गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे एक मकान के पास पड़े कचरे के नजदीक पैंथर का मूवमेंट लोगों को नजर आया। पैंथर को देखने के बाद जब लोगों ने शोरगुल किया तो पैंथर वहां से दौड़ता हुआ नजदीक ही एक मकान की सीढ़ीओं के नजदीक बने बाथरूम में घुसकर बैठ गया।

मकान में घुसने से पहले पैंथर ने एक कारखाने में काम करने वाले युवक निखिल पर भी हमला कर दिया। पैंथर के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए एसके अस्पताल भेजा गया, जहां से युवक को जयपुर रैफर करने की सूचना है। वही पैंथर ने सुबह एक गाय पर भी हमला कर दिया। जिससे गाय भी घायल हो गई। पैंथर की सूचना पर सीकर वन विभाग की टीम और उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग के अधिकारियों ने पैंथर को पकड़ने के लिए जयपुर वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। करीब पांच घंटे बाद जयपुर से वन विभाग की रेस्क्यू टीम पैंथर को ट्रेकुलाइज कर पकड़ने के लिए सीकर पहुंची। जयपुर से आई वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मेहनत के बाद पैंथर को बाथरूम में बंद कर बंदूक से बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर ट्रेकुलाइज किया। पैंथर को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद भी करीब डेढ़ घंटे तक वन विभाग की टीम पैंथर के पूरी तरह से बेहोश होने का इंतजार करती रही। ट्रेकुलाइज करने के करीब डेढ़ घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने पैंथर के पूरी तरह से बेहोश होने पर संतुष्टि जताते हुए पैंथर को बेहोश की हालत में बाथरूम से बाहर निकाला और पिंजरे में डालकर रेस्क्यू टीम रवाना हो गई।

जयपुर से आई वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पैंथर को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर ट्रेकुलाइज किया।

- पैंथर की सूचना पर सीकर वन विभाग की टीम और उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पैंथर की बेहोशी उतारने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर जंगल में छोड़ा जाएगा। पैंथर की सूचना पर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति जीवन खां भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं इलाके में पैंथर होने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी मौके पर पहुंच गया। पैंथर को देखने के लिए लोग घंटे तक मकान की छतों व गली में खड़े रेस्क्यू टीम द्वारा पैंथर को बाहर लेने का इंतजार करते रहे। पैंथर के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

जिला वन संरक्षण अधिकारी रामोतार दूधवाल ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 10:15 बजे सूचना मिली कि शहर के जयपुर रोड इलाके में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है, जिस पर तुरंत जयपुर वन विभाग रेस्क्यू टीम को सूचना देकर बुलाया गया। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने पैंथर को ट्रेंकुलाइज कर बेहोश किया। अब पैंथर के होश में आने पर उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार पैंथर को नेचुरल सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा।

आधार सत्यापन से दोहरे आवेदन एवं डमी कैंडिडेट पर लगाम लगेगी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोकसेवा आयोग को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग से भी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति प्राप्त हो गई है। 27 नवंबर 2024 को जारी की गई अधिसूचना अनुसार आयोग अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने वाले दोहरे आवेदनों की छंटनी, अभ्यर्थियों के सत्यापन, जालसाजी एवं डमी कैंडिडेट की रोकथाम के लिए आधार सत्यापन प्रणाली का उपयोग कर सकेगा। इससे पूर्व माह सितंबर 2024 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भी आधार कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने की अनुमति आयोग को प्राप्त हो गई थी।

आयोग सचिव ने बताया कि आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों यथा ऑनलाइन आवेदन जांच, साक्षात्कार, काउंसलिंग, दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा व नियुक्ति में अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन इसके माध्यम से किया जा सकेगा। गत् समय के दौरान सामने आए डमी अभ्यर्थियों के प्रकरणों को देखते हुए आधार बायोमैट्रिक सत्यापन आयोग की

- कार्मिक विभाग ने भी आयोग को अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन का अधिकार दिया

विश्वसनीयता तथा कार्य प्रणाली में मील का पत्थर सिद्ध होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के आग्रह पर कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 8 मई 2024 को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था। इस पर कार्यवाही करते हुए आधार एक्ट 2016 की धारा 4 एवं आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस नियम 2020 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य से आधार सत्यापन का लिंक प्रदान किया गया था। इसी क्रम में राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा भी आयोग को इसका उपयोग करने की अनुमति के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं की शुचिता भंग करने तथा जालसाजी करने वाले व्यक्तियों व नकल गिरोहों पर लगाम के लिए आवेदन से लेकर परीक्षा प्रक्रियाओं तक में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान अंगूठा निशानी, लाइव फोटो कैप्चर, ओएमआर शीट में पांचवा विकल्प, इंटरव्यू में बोर्ड आवंटन जैसी विशेष प्रक्रियाएं सम्मिलित है। आधार बायोमेट्रिक सत्यापन सुविधा प्राप्त होने से आयोग अब और अधिक सशक्त हो सकेगा तथा जालसाजी कर परीक्षाओं में सम्मिलित होने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

राशिफल शुक्रवार 29 नवम्बर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, स्वाती नक्षत्र दिन 10:18 तक, शोभन योग सायं 4:33 तक, वणिज करण प्रात: 8:40 तक, चन्द्रमा शनिवार प्रात: 6:03 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज भद्रा प्रात: 8:40 से सायं 9:35 तक रहेगी। आज त्रयोदशी तिथि में वृद्धि हुई है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:20 तक, लाभ-अमृत 8:20 से 10:57 तक, शुभ 12:15 से 1:33 तक, चर 4:10 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:01, सूर्यास्त 5:29

मेष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

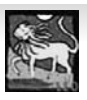

सिंह

व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

धनु

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। परिवार में चल रहे मतभेद समाप्त होंगे।

वृष

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

कन्या

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

मकर

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

व्यावसायिक परेशानी अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी।

तुला

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। आय में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कर्क

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में संयम रखना ठीक रहेगा। स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखें।

वृश्चिक

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

मीन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।